पत्रांक–7/पद सृजन–15–11/2014सा0प्र0........................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

विभाग द्वारा
ारिक रूप
ामर्शित।

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– **अरवल जिला में अलग न्यायमंडल के गठन हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के पदों का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त पत्र ज्ञापांक–62988–89 दिनांक 02.12.2014 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद के पत्रांक–1313 दिनांक 03.03.2014 के आलोक में अरवल न्यायमंडल में न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 13 (तेरह) पदों के सृजन की अनुशंसा प्राप्त है।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत अरवल जिला में न्यायमंडल के गठन हेतु निबंधक, प्रशासन के पत्र सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में रू0 1,40,56,583/–(एक करोड़ चालीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ तेरासी) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा सवंर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से न्यायिक पदाधिकारियों के निम्नांकित कुल 13 (तेरह) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	पदनाम	पद संवर्ग	पदों की संख्या
1	*2*	*3*	*4*
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	बिहार उच्च न्यायिक सेवा	01
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश		02
3	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी	सिविल जज (वरीय को0)	01
4	सब जज–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी		02
5	अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी	सिविल जज (कनीय को0)	01
6	मुंसिफ		01
7	जज प्रभारी		01
8	न्यायिक दंडाधिकारी		04
		कुल	13

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों का व्यय–**बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001"** होगा एवं **जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरवल** इसके **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी** होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–11/2014सा0प्र0 4887 /पटना–15, दिनांक 30.3.15

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19.03.2015 के मद संख्या–03 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/15
सरकार के उप सचिव।

व्यय–विवरणी

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–11/2014सा0प्र0

अरवल न्यायमंडल के गठन हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के कुल 13 (तेरह) पदों के सृजन पर होने वाले व्यय की विवरणीः–

क्र0	पदनाम	पद संवर्ग	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक (औसत वेतन X पदों की संख्या X 12)	मं0 भत्ता@ 107 %	योग (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	बिहार उच्च न्यायिक सेवा	01	51550–1230–5893–1380–63070	57310/–	20,63,160/–	22,07,581/–	42,70,741/–
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश		02					
3	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी	सिविल जज (वरीय को0)	01	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	46770/–	16,83,720/–	18,01,580/–	34,85,300/–
4	सब जज–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी		02					
5	अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी	सिविल जज (कनीय को0)	01	27700–770–33090–920–40450–1080– 44770	36235/–	30,43,740/–	32,56,802	63,00,542/–
6	मुंसिफ		01					
7	जज प्रभारी		01					
8	न्यायिक दंडाधिकारी		04					
		कुल	13				योग	1,40,56,583/–

कुल वार्षिक व्यय का योग –1,40,56,583/–(एक करोड़ चालीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ तेरासी) रूपये मात्र।
नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/VYAY VIVARANI